

## न्यायालय सहायक कलक्टर (मु0) धौलपुर

पीठासीन अधिकारी - डॉ साधना शर्मा (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या : 51 / 2024

1. अतुल पुत्र स्व0 भीकाराम जाति कंजर निवासी ग्राम आदर्श नगर तहसील व जिला धौलपुर
2. काजल पुत्री स्व0 भीकाराम जाति कंजर निवासी ग्राम आदर्श नगर तहसील व जिला धौलपुर
3. राधा उर्फ अर्चना पुत्री स्व0 भीकाराम नाबालिग सरपरस्ती माँ लक्ष्मीदेवी पत्नी स्व0 भीकाराम जाति कंजर निवासी ग्राम आदर्श नगर तहसील व जिला धौलपुर
4. रोशनी पुत्री स्व0 भीकाराम नाबालिग सरपरस्ती माँ लक्ष्मीदेवी पत्नी स्व0 भीकाराम जाति कंजर निवासी ग्राम आदर्श नगर तहसील व जिला धौलपुर
5. लक्ष्मीदेवी पत्नी स्व0 भीकाराम जाति कंजर निवासी ग्राम आदर्श नगर तहसील व जिला धौलपुर

बनाम

1. मनोज कुमार पुत्र कन्हैयालाल जाति कंजर निवासी आदर्श नगर पचगांव तहसील व जिला धौलपुर

2. श्रीमान तहसीलदार महोदय धौलपुर व हैसियत लैण्ड होल्डर ----- प्रतिवादीगण  
दावा बटवारा काश्त व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत  
धारा 53, 188 आर.टी.एक्ट

निर्णय


दिनांक 28.1.2025

वादीगण ने विरुद्ध प्रतिवादीगण दिनांक 24.06.2024 को एक राजस्व वाद बाबत बटवारा काश्त व स्थाई निषेधाज्ञा न्यायालय में पेश किया। जो बाद तहकीकात दिनांक 26.07.2024 को प्रारम्भिक रूप से डिक्री किया गया, तथा तहसीलदार धौलपुर से विभाजन प्रस्ताव तलब किये गये। तहसीलदार धौलपुर ने पत्रांक 811 दिनांक 09.12.2024 से विभाजन प्रस्ताव न्यायालय में प्रेषित किये है। तहसीलदार धौलपुर के द्वारा प्राप्त हुए प्राप्त विभाजन प्रस्तावों पर वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई, वकील उभयपक्ष ने विभाजन प्रस्ताव पर अपनी सहमति जाहिर की, एवं मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दावा वादी डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

हमने वकील उभयपक्ष की बहस का मनन किया एवं तहसीलदार से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजातों का अवलोकन किया विभाजन प्रस्ताव पक्षकारों के दर्ज हिस्से अनुसार ही है। ऐसी स्थिति में दावा वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम रूप से डिक्री किया जाना न्यायोचित समझते हैं।

अतः आदेश है कि दावा वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम रूप से डिक्री किया जाकर पक्षकारों को विवादित आराजी खसरा नम्बर 1214 रकवा 0.3288 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 2293/1211 रकवा 0.2023 हैक्टेयर स्थिति ग्राम आदर्शनगर तहसील व जिला धौलपुर में निम्नानुसार पृथक- पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।


खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	रकवा	किस्म
1 लक्ष्मी पत्नी भीकाराम, अतुल पुत्र	2293 / 1211	0.2023 है०	चा०दो०
भीकाराम, काजल, राधा, रोशनी पुत्रियान	1214 / 1	0.0506 है०	चा०दो०
भीकाराम जाति कंजर, हिस्सा बराबर			
सा०देह खातेदार			
2 मनोज कुमार पुत्र कन्हैयालाल जाति	1214 / 2	0.2782 है०	चा०दो०
कंजर सा० देह खातेदार			

  
सहायक कलक्टर मुद्रा  
धौलपुर (राज०)


कुल किता 3 रकवा 0.5311 हैक्टेयर बाकै ग्राम आदर्शनगर तहसील व जिला धौलपुर कुल लगान 3.18 रूपये।

उपरोक्तानुसार ही पक्षकारों के खाते एवं लगान पृथक- पृथक कायम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। विवादित आराजी के कुल लगान 3 रूपये 18 पैसे के बीस गुना राशि पर देय मुद्रांक कर 03 रूपये 36 पैसे के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेश होने पर पर्चा डिकी जारी हो पत्रावली फैसलभुमार होकर नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 28.01.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।



(डॉ साधना शर्मा)  
सहायक कलक्टर मु0  
धौलपुर (राज.)



**डिक्री व मुकदमे इत्दाई**

**BU 930273**

1. अतुल पुत्र स्व० भीकाराम जाति कंजर निवासी ग्राम आदर्श नगर तहसील व जिला धौलपुर
2. काजल पुत्री स्व० भीकाराम जाति कंजर निवासी ग्राम आदर्श नगर तहसील व जिला धौलपुर
3. राधा उर्फ अर्चना पुत्री स्व० भीकाराम नाबालिग सरपरस्ती माँ लक्ष्मीदेवी पत्नी स्व० भीकाराम जाति कंजर निवासी ग्राम आदर्श नगर तहसील व जिला धौलपुर
4. रोशनी पुत्री स्व० भीकाराम नाबालिग सरपरस्ती माँ लक्ष्मीदेवी पत्नी स्व० भीकाराम जाति कंजर निवासी ग्राम आदर्श नगर तहसील व जिला धौलपुर
5. लक्ष्मीदेवी पत्नी स्व० भीकाराम जाति कंजर निवासी ग्राम आदर्श नगर तहसील व जिला धौलपुर  
----- वादीगण

बनाम

1. मनोज कुमार पुत्र कन्हैयालाल जाति कंजर निवासी आदर्श नगर पचगांव तहसील व जिला धौलपुर
2. श्रीमान् तहसीलदार महोदय धौलपुर वहैसियत लेण्ड होल्डर ----- प्रतिवादीगण  
दावा बटवारा काश्त व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत  
धारा 53, 188 आर.टी.एक्ट

आज यह मुकदमा इनफिसाल कर्तई रुबरु मुझ साधना शर्मा (आर.ए.एस.) व हाजिरी श्री योगेश कुमार शर्मा एडवोकेट मिनजानिव मुद्दालह एव श्री रघुनाथ प्रसाद शर्मा एडवोकेट मिनजानिव मुद्दालह ने पेश होकर हुकम दिया जाता है, कि दावा वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम रूप से डिक्री किया जाकर पक्षकारों को विवादित आराजी स्थिति ग्राम आदर्श नगर तहसील व जिला धौलपुर में निम्नानुसार पृथक- पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है:-

खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	रकवा	किस्म
1 लक्ष्मी पत्नी भीकाराम, अतुल पुत्र	2293 / 1211	0.2023है०	चा०दो०

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम 1998 के अन्तर्गत  
स्टाम्प शक्ति पर प्रसारित अधिभार

भीकाराम, काजल, राधा, रोशनी पुत्रियान  
भीकाराम जाति कंजर, हिस्सा बराबर  
सा0देह खातेदार

1214 / 1

0.0506 है0

चा0दो0

2 मनोज कुमार पुत्र कन्हैयालाल जाति  
कंजर सा0 देह खातेदार

1214 / 2

0.2782 है0

चा0दो0

कुल किता 3 रकवा 0.5311 हैक्टेयर बाकै ग्राम आदर्शनगर तहसील व  
जिला धौलपुर कुल लगान 3.18 रूपये।

उपरोक्तानुसार ही पक्षकारों के खाते एवं लगान पृथक- पृथक कायम किये  
जाने के आदेश दिये जाते हैं।

वशब्द मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से निर्णय दिनांक 28.01.2025 के संदर्भ में आज  
दिनांक 30.01.2025 को जारी की गई।



(डाँ साधना शर्मा)  
सहायक कलक्टर मु0  
धौलपुर (राज.)  
धौलपुर (राज.)